(1100/RV/KKD)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

सदन में माननीय सदस्यों के व्यवहार के बारे में

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 28 जुलाई को सदन में जो घटना हुई, उससे मुझे अत्यन्त पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। अगर हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? मेरी कोशिश होती है कि सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उन्हें यथोचित सम्मान भी दूं। उनका सम्मान रहे, यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना को संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसे लोकतंत्र का मन्दिर मानते हैं और हम सबका यह विश्वास और भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे चैम्बर में आकर कहें। मैं कोशिश करूंगा कि आसन की गरिमा को और बढ़ाने के लिए हमेशा आपके सुझाव मांगू। लेकिन, हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को और बढ़ा सकते हैं।

आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। यह सदन जनता के प्रति जवाबदेह भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था हैं। आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप उनकी अपेक्षाओं, उनकी भावनाओं को सदन में रखते हैं, ताकि उनके अभावों को दूर कर सकें।

मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम मिलकर किस तरह से इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं, जो संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सदन जानता है कि इस आसन की, चेयर की गरिमा को बनाए रखने के लिए सारी ऑपोजीशन पार्टीज़ पहले दिन से ही मशक्कत कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। इसी की बदौलत आप हिन्दुस्तान में या हिन्दुस्तान के बाहर, सारे मीडिया वालों को यह कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतनी है। आप बताइए कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन की जो प्रोडक्टिविटी हुई है, हमने जितना बिजनेस लिया है, जितने भी समय तक हम लोगों ने सदन के अन्दर चर्चा की है, इसकी एक नई मिसाल आपने खुद बनाई है। यह आप खुद कहते हैं।

(1105/MY/RP)

हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इस सदन ने आपके नेतृत्व में एक नयी मिसाल बनायी है।

सर, आप देख रहे हैं कि इस सरकार की जिद्दबाजी से सदन के अंदर हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कल की घटना पर कहें।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम एक कानूनी बात करते हैं।... (व्यवधान) सदन के अंदर मैं एक छोटी-सी कानूनी बात करता हूँ।... (व्यवधान)

सर, कौन रोकता है, यह आप खुद देखिए।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): आप कल की घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ... (व्यवधान) इतना बड़े-बड़े बंडल, पेपर के बंडल चेयर के ऊपर फेंकते हैं।... (व्यवधान) इधर हमारे ऊपर फेंका है, मीडिया के ऊपर फेंका है, क्या यह सही है या गलत है? ... (व्यवधान) बाकी चीजों पर डिस्कशन के बारे में, बी.ए.सी. में जो हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। ... (व्यवधान) हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान) क्या यही तरीका है? क्या आप माफी भी माँगना नहीं चाहते हैं?... (व्यवधान) You do not even want to apologise to the Chair. ... (*Interruptions*) You do not even want to apologise to the Chair. ... (*Interruptions*) Is it the way to behave? आपने इतने साल तक राज किया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1107 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा ग्यारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

1130 hours

(*At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Dr. K. Jayakumar, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood near the Table.)*

… (*Interruptions*)

(प्रश्न 141)

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 141, श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बैन्नी बेहनन।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satyavathi, please ask your question.

… (*Interruptions*)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Chairperson Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister of Ports, Shipping and Waterways whether the Government has made progress in setting up multi-skill development centres for higher order skills, in collaboration with the Directorate General of Training or National Skill Development Corporation through PPP model for skill training, as was mentioned in the expected outcomes of the MOU.… (*Interruptions*) If so, the details thereof. … (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Hon. Chairperson Sir, for your information, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has taken a lot of initiatives to set up skill development centres in different locations of coastal areas. … (*Interruptions*) In reply to the question of the hon. Member, I would like to inform you that the Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding has undertaken a project, in collaboration with Siemens Industry Software India Pvt Ltd and Indian Register of Shipping in Vishakhapatnam and Mumbai. This focuses on higher skills. … (*Interruptions*) Secondly, the National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts has been set up at IIT Madras which is for research. … (*Interruptions*) Thirdly, the Centre for Inland and Coastal Maritime Technology has been set up at IIT, Kharagpur, which is for ship design development. … (*Interruptions*)

So, these are the initiatives we have taken so far. Thank you. … (*Interruptions*)

(ends)

(प्रश्न 142)

श्रीमती संध्या राय (भिंड): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उससे सहमत हूं।…(व्यवधान) ओलम्पिक खेलों में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा।…(व्यवधान) देश की बेटी मीराबाई चानू जी ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यह खेल नीति का ही परिणाम है, जिसके कारण आज विश्व पटल पर हमारे देश का नाम चमक रहा है।…(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और खेल मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें देती हूं।…(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड के लिए क्या कोई नवीन प्रस्ताव तैयार किया गया है? …(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय सभापति जी, भारत की बेटी मीराबाई चानू जी ने देश के लिए जो रजत पदक जीता है, उसके लिए मैं सारे सदन की ओर से उनको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूं।…(व्यवधान) यह भारत के लिए गर्व की बात है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज आप उत्तर सुनिये। खेलों पर चर्चा हो रही है, ओलम्पिक चल रहे हैं, प्लीज आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: पहले दिन, पहला मेडल, यह पहली बार हुआ है। देश की बेटी मीराबाई चानू जी ने यह करके दिखाया है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है।…(व्यवधान) आज भी सुबह से बहुत अच्छी परफार्मेंस वहां पर रही है।…(व्यवधान) आगे और मेडल्स जीतने की उम्मीद भी है।…(व्यवधान)

आपने मध्य प्रदेश की बात कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में हमारा एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, भोपाल में चल रहा है, जहां पर लगभग 223 एथलीट्स खेलते हैं। साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम के अंतर्गत जबलपुर, टीकमगढ़ और धार में लगभग 62 खिलाड़ी रेजीडेंशियल में और नॉन-रेजीडेंशियल में 30 खिलाड़ी खेल रहे हैं।…(व्यवधान) जो एसटीसी का एक्सटेंशन सेंटर है, उसमें खण्डवा में हमारे 20 खिलाड़ी नॉन-रेजीडेंशियल में हैं और गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, इंदौर में भी लगभग 39 लोग खेल रहे हैं।…(व्यवधान)

(1135/NK/MMN)

इसी तरह से खो-खो के लिए जबलपुर में है, वहीं अलग-अलग अखाड़ों को एडॉप्ट किया गया है। उज्जैन और इंदौर को मिलाकर 25 खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 285 एथलीट्स रेजिडेन्शियल और नॉन-रेजिडेन्शियल में 94 एथलीट्स खेल रहे हैं। … (व्यवधान)

इसके अलावा भी भारत सरकार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन करती है … (व्यवधान) जो यूथ गेम्स से लेकर यूनिवर्सिटीज गेम्स तक होता है, तीन बार यूथ गेम्स हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज गेम्स भी हुए हैं। इस बार भी इसे नवम्बर महीने में आयोजित होना है। जहां तक माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि खेल राज्य का विषय है, खेल स्टेट सब्जेक्ट है। यदि राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करके समय-समय पर निर्णय भी करते हैं। अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। … (व्यवधान)

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र भिंड, दतिया और चम्बल सम्भाग में आता है। वहां के लोग सबसे ज्यादा फौज और सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। … (व्यवधान) उनके बच्चों और फैमिली के लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जाए। वहां की जो बेटियां हैं, कुश्ती का गेम वहां बहुत अच्छी तरह से प्रचलित है, … (व्यवधान) क्या तमाम गेम्स के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की केन्द्र सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं है तो केन्द्र सरकार की योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार को यहां से प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे भिंड जिले में प्रतिभावान बच्चों को मौका मिल सके।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमने खेलो इंडिया स्कीम के तहत लगभग 1756 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उसमें अलग-अलग आधारभूत ढांचा बनाने का काम किया गया। … (व्यवधान) उसमें 272 स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन्ड किया गया, जिसकी कुल कीमत 1735 करोड़ रुपये है। इसके अलावा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिजम एरियाज हैं, उसके लिए कुल मिलाकर तेरह राज्यों में इस स्कीम को चलाया गया है। … (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर से लेकर नार्थ-ईस्ट और बाकी राज्यों में भी इसे चलाया है। प्लेफील्ड्स कहां-कहां हो सकते हैं, उसके लिए देश भर में प्लेफील्ड्स की मैपिंग करके उसे जीआई से टैग किया है ताकि आप देख सकें कि नजदीक के किस क्षेत्र में खेलने जाना है, उसे भी किया है। … (व्यवधान)

मैंने पहले कहा कि तीन खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराए हैं। वर्ष 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स भी कराया है। इस साल भी दो गेम्स होने के लिए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 360 खेलो इंडिया के कॉल सेंटर्स खोले गए हैं, … (व्यवधान) 23 स्टेट्स में 24 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सिलेंस भी नोटिफाई किए गए हैं।

जहां तक माननीय सांसद जी के क्षेत्र की स्पेसिफिक बात है। वहां के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक मांग रखी है। यदि इसे राज्य सरकार के माध्यम से भिजवाएंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक परिणामों के अनुसार पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। … (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में वर्तमान में कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। … (व्यवधान) क्या सरकार देश में ओलंपिक खेलों जैसे आयोजनों करने संबंधी कोई लक्ष्य रखती है? यदि हां तो विवरण क्या है? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं? इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्या संभावनाएं हैं? मेरे संसदीय क्षेत्र की जिला अशोक नगर, गुना सुपरी में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए क्या सरकार स्पोर्ट्स कम्पलेक्स जैसी योजनाओं पर विचार कर रही है? … (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, वर्ष 2016 में 12वीं साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित हुई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप लखनऊ में हुआ था। ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट गोवा में हुआ था और वर्ष 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ। 22वीं एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ओडिशा में आयोजित की गई। एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप नई दिल्ली में 2017 में हुई और वर्ष 2018 में एआईबीए वूमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप नई दिल्ली में हुआ। … (व्यवधान)
(1140/SK/VR)

हमने कॉमन वैल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप कटक में की और वर्ष 2021 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फिर नई दिल्ली में किया।

मैं आपके माध्यम से सदन और देश को बताना चाहता हूं कि हम हॉकी मैन्स जूनियर वर्ल्ड कप नवंबर, 2021 में करने जा रहे हैं। हम बॉक्सिंग का इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, बैडमिंटन में इंडिया ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 करने जा रहे हैं। फुटबाल में एशियन वूमेन फुटबाल कप 2022 और फीफा अंडर 17 वूमेन वर्ल्ड कप 2022 करने जा रहे हैं। स्नूकर में आईबीएसएफ वर्ल्ड मैन, वूमेन और मास्टर चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं। खोखो में फर्स्ट वर्ल्ड कप 2021-22 करने जा रहे हैं। हॉकी में एफआईएच मैन्स वर्ल्ड कप 2023 करने जा रहे हैं। इसके अलावा ओलम्पिक्स गेम्स के बारे में कहा गया, अगर इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन लिखकर देती है, कोई प्रस्तावना करती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराना चाहती है, अगर उसका लिखित में प्रस्ताव आता है, तो हमारी सरकार ने पिछले सात साल में ऐसे बहुत से आयोजन किए हैं और भविष्य में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दुनिया भर की बड़ी चैम्पियनशिप हिन्दुस्तान में करवाने के लिए तैयार हैं।

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this opportunity. First of all, on behalf of all the Members of Parliament, I congratulate Ms. Mirabai Chanu for winning the medal. It shows how well we are doing in the Olympics and how the TOPS programme is doing and how much investment we are bringing in into the Olympic sports. In the detailed reply as well, the Ministry has said that year-on-year investments in the sports programmes have been increasing.

Sir, we have sent a huge contingent to the Tokyo Olympics 2020. I request the hon. Minister to provide the details of how many athletes have gone there; how many coaching and federation staff have gone there.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय सभापति जी, पूर्व में माननीय सदस्य ने शिवपुरी के बारे में पूछा था। हमने उनके यहां हॉकी का सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम कॉम्पलेक्स बनाने का काम किया है, शिवपुरी में काम चल रहा है। अगर आप वर्ष 2012 में भारत को ओलिम्पिक्स में देखें तो 83 एथलीट्स 13 स्पोर्ट्स में गए थे। वर्ष 2016 रियो में 117 एथलीट्स 15 स्पोर्ट्स से, वर्ष 2020 ओलम्पिक्स टोक्यो में, आज तक का सबसे बड़ा कंटिन्जेंट, 127 के लगभग एथलीट्स 18 स्पोर्ट्स में गए हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होगी। इसके अलावा और विस्तृत जानकारी, जैसे कितने कोचिस के साथ बाकी कितना स्टाफ गया, माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Question nos. 143 and 151 are clubbed together.

… (*Interruptions*)

(Q.143 & 151)

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Thank you, hon. Chairperson. I would like to thank our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi for his ambitious Smart Cities Mission. We see unprecedented developmental activities in seven cities of Karnataka, namely, Belagavi, Bengaluru, Davangere, Hubballi-Dharwad, Mangaluru, Shivamogga and Tumakuru. Around 817 projects worth Rs.17,160 crore have been taken up. These projects will certainly change the fate of these seven cities.

Unfortunately, when this Smart Cities Mission was announced on 25th June, 2015, my city, Mysore's name did not figure in the listed cities. I am not blaming anyone else but ourselves because we were unable to utilize 80 per cent of the funds that we got under JNNURM. Mysore City Corporation did not do the auditing from 2011. So, the Karnataka Government was unable to recommend the name of Mysore under the Smart Cities Mission.

Sir, as far as Swachch Bharat Mission survey of cities with less than one million population is concerned, we are at number one position. We are the cleanest city in India. But, unfortunately, we did not get the developmental funds under the Smart Cities Mission. I would like to know from the hon. Minister whether there is a proposal before the Government to extend the list of Smart Cities and whether they are going to come up with a second list of Smart Cities.

Thank you, Sir.

(1145/SAN/MK)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: *Sabhapati Mahoday*, I fully empathise with the sentiment just expressed by my distinguished colleague, an hon. Member from Mysuru.

The Smart City Programme is a unique programme that has been implemented in the country for the first time. It was conceived as soon as the Modi Government took office in May, 2014 and it was announced in June, 2015. The idea was to use technology in order to introduce ease of living, and inclusive and sustainable development.

Sir, the process of selecting the 100 smart cities was not a selection process ordained by the Central Government. In fact, a system of competitive bidding was announced and all cities, that wished to compete for inclusion in the Smart Cities Project, were invited to submit specific proposals which they would

implement over a period of five years. Now, the Centre's contribution to this is about Rs. 48,000 crore. The overall Smart City Project is worth Rs. 205,000 crore. The Centre gives Rs. 500 crore per year to each of the selected smart cities.

The hon. Member mentioned that the smart cities selected in Karnataka have done exceptionally well. Out of the total amount released of Rs. 1,721 crore, the smart cities of Karnataka have already utilised Rs. 1,563 crore, which represents 91 per cent of the amount allocated.

The hon. Member said that these projects will change the fate and the shape of these seven smart cities. I agree with that. The evidence of that is already available. Hon. Chairperson, Sir, when I was included in the Council of Ministers in September 2017, I used to be asked : where are the Smart Cities? I took some pains to find out, to tell people that the Smart City Project is a unique project and it takes about a year or two to set up a special purpose vehicle and to set up a project management consultant. Today, we are seeing the results.

In so far as the inclusion of Mysuru is concerned, the hon. Member is absolutely right that Mysuru was not included. It was not because the Central Government was not wanting to include Mysuru, but it was a system of seeking an election, putting forward a proposal.

I said that the Central Government gives to each of the smart cities a total amount of Rs. 500 crore over five years, which is Rs. 100 crore a year. I think, I mis-spoke earlier.

What do we do now? Clearly, it is our expectation that the seven smart cities of Karnataka or the ten smart cities of Uttar Pradesh or, for that matter, all the other smart cities, are all being ranked against the performance that they are registering in relation to each other. Now that is having a lighthouse effect. When other cities see the kind of progress that the smart cities are registering, they are wanting their own cities to be included.

Now, will there be a follow up to the 100 smart cities? Hon. Chairperson, Sir, that is something we will need to see. It is also our expectation that with the progress registered, other cities may wish to look at the experience gained, the best practices which these smart cities have shown and maybe apply those autonomously.

Thank you very much.

SHRI PRATHAP SIMHA (MYSORE): Hon. Chairperson, Sir, I am thankful to the hon. Minister Hardeep Puriji. He can understand our problem. He knows Mysuru. Whenever we visit a city, what is the first thing that we get to see? That is cleanliness. To clean up the city, we need to have legacy waste treatment plants. (1150/SNT/SJN)

We need to have C&D plants. For that we need money. At least, if our hon. Minister is kind enough to give money under AMRUT Scheme for these projects, I will be more than happy. … (*Interruptions*)

Thank you.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, as I started my response to the first supplementary, I fully empathize with the sentiment expressed by the hon. Member. I also have a very deep and a personal relationship with the State of Karnataka. … (*Interruptions*) But under AMRUT or any other scheme, the Centre stands ready to cooperate but the States' annual action plans are drawn up by the State Governments. They can reposition. But insofar as sewage treatment and septage treatment are concerned, there will be a follow up to the AMRUT Scheme. … (*Interruptions*)

In fact, the hon. Finance Minister in her Budget statement for 2021-22 specifically mentioned a Swachh Bharat Mission Phase-II and an AMRUT follow up. The AMRUT Scheme only covers 60 per cent-plus of India's urban population, and the Government is actively considering a follow up scheme which will cover 100 per cent of the urban areas. … (*Interruptions*)

SHRI ANNASAHEB SHANKAR JOLLE (CHIKKODI): Thank you, Chairman Sir. I thank the hon. Minister for giving a good answer to the question. … (*Interruptions*)

Now, I want to ask this question. The role of the public representatives, like MPs and MLAs is not clearly defined in the Special Purpose Vehicles created under the Mission of each city. At present, there are only officials of the SPVs and local MLAs or city level advisory forum with no real authority. … (*Interruptions*)

Can the hon. Minister please include the public representatives of the local people under SPVs? About one-third cities are included in 100 Smart Cities Mission. In the next phase, whether they can take up tier-2 and tier-3 cities wherein they require less money also. Thank you … (*Interruptions*)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, as I had stated earlier these 100 smart cities were selected or got elected through a process which was initiated in 2015. There is no proposal at present, – Sir, I repeat, there is no proposal at present – to either extend this Smart Cities Scheme to 100-plus or other cities or for that matter to tier-2 or tier-3 cities. … (*Interruptions*)

It is our expectation that the experience gained and the experience demonstrated will result in other cities following suit by learning from those examples and thereby implementing that experience. … (*Interruptions*) On the issue of our elected representatives, the MLAs, the MPs being involved, let me state on the record, the city level advisory forum is an advisory body where all MPs are important Members and they should feel free to give advice in the advisory forum. … (*Interruptions*)

The Special Purpose Vehicle which is required to take the decisions on tendering and other issues can advise them but the responsibility for the action, for the implementation of the project will have to be borne by the management of the Special Purpose Vehicle as per the law. But we would be always encouraging MPs. … (*Interruptions*) There are, in fact, two shareholders in the Special Purpose Vehicles – the State Government and the local body, that is, the Municipal Corporation in a 50-50 ratio. The Board members are nominated by the Government of India and has one nominated Director. … (*Interruptions*)

Sir, I encourage all Members of Parliament and other representatives to actively participate in the Advisory Council. … (*Interruptions*)

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : श्रीमती रेखा अरुण वर्मा।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 144)

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या 144, श्री अनुभव मोहंती।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, मैं विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

(इति)

(1155/YSH/RBN)

(प्रश्न 145)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): श्री सुनील बाबूराव मेंढे।

… (व्यवधान)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन यह है कि हम आर.सी.एस. के तहत उन एयरपोर्ट्स से विमानों को उड़ाना चाहते हैं, जहां से अभी तक कोई कमर्शियल विमान नहीं उड़ रहा है।… (व्यवधान) इसके तहत मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ऐसे कितने एयरपोर्ट्स हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है? जहां पर रन-वे और टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वहां से अभी तक एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ी है? … (व्यवधान)

मेरा दूसरा क्वैश्चन यह है कि मैंने गोंदिया की बात की थी। गोंदिया का लाइसेंस इश्यू होने का विषय है। गोंदिया का एयरपोर्ट कब तक क्लीयर होगा?… (व्यवधान) वहां पर एयरलाइन्स विमानों को कब तक उड़ा पाएगी?… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : मैं इस योजना के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक नींव रखी थी कि देश का एक-एक नागरिक, जो आज हवाई चप्पल पहनता है, वह हवाई जहाज में उड़ पाए। जमीनी स्तर पर, विस्तृत तरीके से 130 करोड़ जनता हवाई जहाज में अपना सफर कर पाए।… (व्यवधान) इस विचारधारा के साथ इस योजना की नींव रखी गई थी। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पूरे देश में ऐसे कई शहर थे, जहां पर किसी ने हवाई जहाज देखा भी नहीं था। ऐसे शहरों में से आज 170 फ्लाइट्स, कहीं से 110 फ्लाइट्स उड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक-एक जन को जोड़ने के सपने की नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नींव रखी थी, आज वह साकार होने जा रही है।… (व्यवधान)

हमने 'उडान' योजना के तहत 780 रूट्स अवॉर्ड किए हैं, जिनमें से आज 359 रूट्स कार्यरत हैं। 'उड़ान' योजना में हमने ऐसे 59 नए एयरपोर्ट्स स्थापित किए हैं, जो पहले कभी भी उड़ान सेवा से जुड़े हुए नहीं थे।… (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जहां तक गोंदिया की बात की है तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही यशस्वी योजना है, जिसके तहत हमने गोंदिया को जोड़ा है। उड़ान की बिड़िग के चौथे राउंड में गोंदिया के दो रूट्स को बिग चार्टर वाली कंपनी ने स्थापित किया है। हैदराबाद-गोंदिया-हैदराबाद और उसी के साथ मेरे राज्य से गोंदिया से इंदौर तक स्थापित किया है, लेकिन आज हमारे सामने दो विसंगतियां हैं। एक विसंगति यह है कि लाइसेंसिंग के विषय में डी.जी.सी.ए. ने एक पूरी टीम को 17 जून, 2021 को गोंदिया में भेजा था।… (व्यवधान) वहां पर दो विसंगतियां हैं। वहां पर रन-वे और सिक्योरिटी एरिया के लिए जमीन की जरूरत है। हम यह चाहते हैं कि जब तक हम वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा का वातावरण तैयार नहीं कर लें, तब तक उड़ान शुरू नहीं हो।… (व्यवधान)

दूसरी विसंगति यह है कि हमें डिस्टेंसेस को रिकैलकुलेट करके डी.जी.सी.ए. को देना है।… (व्यवधान) इसी के साथ एक कठिनाई यह भी है कि जो रूट्स बिग चार्टर कंपनी ने लिए हैं, उसका

(pp 13-30)

एक ही एयरक्राफ्ट है और यह एयरक्राफ्ट वर्तमान में उत्तर पूर्वी भारत में कार्यरत है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इन दोनों विसंगतियों का हल जल्दी से जल्दी निकाल पाएं, ताकि हम गोंदिया को राष्ट्रीय उड़ान में जोड़ पाएँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप शीघ्रता से प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ।... (व्यवधान) क्या आपके द्वारा गोंदिया एयरपोर्ट से कार्गो विमान सेवा चालू करने का कोई विचार है? अगर कार्गो विमान सेवा चालू होगी तो कब तक होगी? ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति महोदय, धन्यवाद। उड़ान सेवा का कार्गो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं आपके जरिए इस सदन को बताना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़ वर्षों में कार्गो के क्षेत्र में भारत का भाग केवल 2 प्रतिशत तक सीमित था। सरकार ने जो कदम उठाए है, उसके तहत 39 एयरपोर्ट्स में कार्गो फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।... (व्यवधान)

(1200/RPS/SRG)

हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन और कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटीज 15 एयरपोर्ट्स में स्थापित की हैं। हमने अनेक ऐसे कदम लिए हैं, ताकि हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स कार्गो की तरफ भी बढ़ पाएं। जो कैरियर्स और प्लेन्स लोगों को सफर में ले जाते हैं, उनकी बेली में भी हम लोग कार्गो ले जाएं। इन सभी कदमों के आधार पर राष्ट्र में पहले जो फ्रेटर्स केवल छ: के अंक में थे, वे आज बढ़कर 28 के अंक में आ चुके हैं। कार्गो के क्षेत्र में भारत का जो भाग केवल दो प्रतिशत तक सीमित था, हमारे राष्ट्रीय कैरियर्स के लिए कोरोना के वातावरण में भी, एक साल के अंदर यह भाग हम बढ़ाकर 19 प्रतिशत तक ले गए हैं। गोंदिया के लिए पहले हम लोग हवाई सेवा शुरू करें, उसके बाद अगर वहां वह क्षमता है तो माननीय संसद सदस्य जरूर आकर हमसे वार्तालाप करें और हम लोग इस पर तहकीकात करने की कोशिश करेंगे।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

... (व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1200 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे – आइटम 2 से 6,

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री सर्वानन्द सोनोवाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2021/01 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक मामलों संबंधी आठ अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1250(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-75 (नया एनएच-44) के 0.000 किमी से 103.000 किमी तक ग्वालियर से झांसी खण्ड (संशोधित खण्ड 16.000 किमी से 98.455 किमी) की चार लेन परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1251(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य के लुधियाना में एनएच-95 को एनएच-1 से वाया लाडोवाल बीज फार्म जोड़ने वाली एनएच-95 के 0.000 किमी से 17.041 किमी तक लाडोवाल बायपास खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1252(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य एनएचडीपी फेज-दो के अंतर्गत एनएच-31 (नया एनएच-27) के 1013.000 डिजाइन किमी से 1040.300 किमी (वर्तमान 1013.000 किमी से 1040.300 किमी) तक नलबाड़ी-बिजनी से गुवाहाटी खण्ड को दो लेन से चार लेन बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1253(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-22 (नया एनएच-05) के 67.000 डिजाइन किमी से 106.000 किमी (वर्तमान 67.000 किमी से 106.139 किमी) तक परवानू-सोलन खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1254(अ) जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में एनएच-30 (पुराना एनएच-200) के 0.000 डिजाइन किमी से 48.580 किमी (वर्तमान 0.000 डिजाइन किमी

से 45.700 किमी) तक रायपुर-सिम्गा खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 1403(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752सी के 41.800 किमी से 82.300 किमी तक शुजालपुर-अस्ता खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 1404(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-911 के 0.00 डिजाइन किमी से 30.812 डिजाइन किमी तक खाजूवाला से पूगल खण्ड तथा 1.430 डिजाइन किमी से 182.725 डिजाइन किमी तक पूगल-दांतौर-जग्गासर-गोकुल-गोड्डू-रंजीतपुरा-चरणवाला-नोख-बाप खंड की 2/4 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1405(अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में एनएच-33 के 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी (वर्तमान 140.000 डिजाइन किमी से 217.300 किमी) तक रांची-रारगांव खण्ड की 4/6 लेन परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1656(अ) जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-82 के 94.478 किमी से 149.053 किमी तक बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा खण्ड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 1701(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-52 (पुराना एनएच-211) के 290.200 किमी से 320.640 किमी तक औरंगाबाद से करोडी खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1702(अ) जो 27 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548सीसी के 43.963 किमी से 100.065 किमी तक चिखली-खमगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1711(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के

300.000 किमी से 422.700 किमी तक चिखली-तरसोड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1712(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-48 के 489.185 किमी से 555.905 किमी तक शामलाजी-मोटाचिलोडा-नानाचिलोडा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1713(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-361 के 253.700 किमी से 320.580 किमी तक वारांगा-महागांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1714(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-536 (पुराना एनएच-210) के 94.000 किमी से 173.500 किमी तक कराइकुडी-रामनाथपुरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1715(अ) जो 29 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 195.733 किमी से 240.897 किमी तक अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1804(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-752सी के 2.700 किमी से 33.000 किमी तक पाचोर-सुलजापुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1805(अ) जो 7 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के 240.897 किमी से 302.108 किमी तक अलीगढ़-कानपुर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1851 (अ) जो 12 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-353डी के 7.300 किमी से 48.400 किमी तक नागपुर-उमरेद खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1905 (अ) जो 17 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-183 के 2.750 किमी से 136.543 किमी तक डिंडीगुल थेनी- कुमीली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1951 (अ) जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-6) के 414.982 किमी से 493.300 किमी तक बिंजाबहल-तेलीबानी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2248 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में एनएच-27 (पुराना एनएच-54) के 275.000 किमी से 300.760 किमी तक सिलचर-बालाछेड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2345 (अ) जो 16 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के 88.600 किमी से 155.000 किमी तक बमीठा-पन्ना-नागौर-सतना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2436 (अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-140 के 0.000 किमी से 61.128 किमी तक चितूर-मल्लावरम खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2479 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365 के 0.600 किमी से 65.963 किमी तक नकरेकल-तानमचेरला खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2585 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-45 (पुराना एनएच-12) के 10.400 किमी से 66.000 किमी तक जबलपुर-हिरन नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सताईस) का.आ. 2448 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-39 (पुराना एनएच-75) के

75.603 किमी से 124.732 किमी तक झांसी-खजुराहो नदी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठाईस) का.आ. 2582 (अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-347बी के 0.000 किमी से 34.560 किमी तक टिखरी-अंजाड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2650 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552विस्तार के 254.370 किमी से 291.800 किमी तक मुरेना-अम्बा-पोरसा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2651 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548सी के 0.000 किमी से 41.500 किमी तक खमगांव-शेगांव खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 2652 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-547ई के 4.700 किमी से 33.575 किमी तक साउनेर-ढापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2648 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-135बी के 0.000 किमी से 36.710 किमी तक रीवा-सिरमौर खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2649 (अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएच-44 (पुराना 1ए) के 189.350 किमी से 205.618 किमी तक काजीगुंड-बनिहाल खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौतीस) का.आ. 2690 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-31डी के 0.000 किमी से 83.785 किमी तक घोषपुकुर-धूपगुड़ी खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2691 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-552 विस्तार के 295.200 किमी से 343.800 किमी तक पोरसा-अटेर-भिंड खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2698 (अ) जो 5 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-7 के 15.100 किमी से 140.200 किमी तक वाराणसी-हनुमान खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2743(अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 1760(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का.आ. 492(अ) जो 2 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखंड राज्य में राजमार्ग सं. 588 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 514(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ. 515(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इकतालीस) का.आ. 516(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 383(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का.आ. 517(अ) जो 3 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 589 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 657(अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग सं. 590 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चवालीस) का.आ. 833(अ) जो 22 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का.आ. 960(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 592 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(छियालीस) का.आ. 961(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 591 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(सैंतालीस) का.आ. 962(अ) जो 26 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ. 1025(अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का.आ. 1043(अ) जो 4 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग सं. 593 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(पचास) का.आ. 1146(अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग सं. 594 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(इक्यावन) का.आ. 1278(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का.आ. 1279(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई 3 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तिरपन) का.आ. 1280(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1175(अ) को निरस्त किया गया है।

(चौवन) का.आ. 1298(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 597 और 598 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पचपन) का.आ. 1299(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 595 और 596 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(छप्पन) का.आ. 1300(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 600 और 601 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(सतावन) का.आ. 1301(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठावन) का.आ. 1302(अ) जो 23 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में राजमार्ग सं. 599 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(उनसठ) का.आ. 1385(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 और 76 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(साठ) का.आ. 1386(अ) जो 26 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकसठ) का.आ. 1494(अ) जो 7 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राजमार्ग सं. 602 और 603 को नये राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(बासठ) का.आ. 1585(अ) जो 13 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का.आ. 1948(अ) जो 21 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 604 को नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चौसठ) का.आ. 2037(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का.आ. 2038(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 4583(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासठ) का.आ. 2039(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सड़सठ) का.आ. 2040(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का.आ. 2041(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उनहत्तर) का.आ. 2042(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का.आ. 2139(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 460(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(इकहत्तर) का.आ. 2140(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 461(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(बहत्तर) का.आ. 2141(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में क्रम सं. 524 के सम्मुख विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148एन और उससे संबंधित प्रविष्टियों का अनुसूची से लोप किया गया है।

(तिहत्तर) का.आ. 2142(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का.आ. 2165(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का.आ. 2178(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 233 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छिहत्तर) का.आ. 2179(अ) जो 7 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का.आ. 2435(अ) जो 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का.आ. 2478(अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 109ट के खंड के विकास और रख-रखाव से संबंधित कार्य सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सीमा सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाएगा।

(2) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव तथा दादरा एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, श्री कौशल किशोर जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2021 जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1204 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th July, 2021 agreed without any amendment to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th March, 2021."

… (*Interruptions*)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
विवरण

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): सभापति महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) 'विद्युत क्षेत्र में तनावग्रस्त/गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

(2) 'बिजली क्षेत्र में एनपीए के संबंध में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए आरबीआई के संशोधित फ्रेमवर्क का प्रभाव' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे, चौथे, 20वें और 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से, निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

… (व्यवधान)

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): सभापति महोदय, मैं पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे

1204 बजे

माननीय सभापति : आप सभी माननीय सदस्यगण से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सीट्स पर जाइए, शून्य प्रहर शुरू हो रहा है। अपनी बात रखिए और अन्य माननीय सदस्यों को भी अपना विषय यहां रखने दीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : डॉ. निशिकांत दुबे ।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं इस सदन के सारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सांसद के तौर पर यह मेरा 13वां साल है। … (व्यवधान) मैं झारखण्ड से आता हूं और कल जिस तरह से … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहकर सम्बोधित किया गया, एक महिला सदस्य के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। … (व्यवधान)

सर, हमारा दोष क्या है? हमारा दोष यह है कि इस देश को बनाने में एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिन्दी भाषी के तौर पर, चाहे वे उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, हमने मेहनत की है। हमने श्री राम को शिक्षा दी। यदि बक्सर नहीं होता तो श्री राम पढ़ाई नहीं करते। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : उनका विषय आने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इसे नीचे रखिए।

… (व्यवधान)

(1205/RAJ/AK)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सवाल सिख धर्म का है, गुरु गोबिन्द सिंह जी बिहार में पैदा हुए।... (व्यवधान) बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली।...(व्यवधान) जैन धर्म वहां से स्टार्ट हुआ।...(व्यवधान) जहां मैं पैदा हुआ, ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : सभा की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1205 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजकर तीस मिनट तक
के लिए स्थगित हुई।

(1230/VB/SPR)

1230 बजे

लोक सभा बारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1230 बजे

(इस समय श्री हिबी ईडन, सुश्री महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please, go back to your seats.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया सदन की कार्यवाही आगे चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, निशिकांत जी की बात अधूरी रह गई है।… (व्यवधान)
माननीय सभापति : मैं समझता हूँ कि आप अपनी बात काफी कह चुके हैं।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : माननीय सभापति जी, जीरो ऑवर चल रहा है। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।… (व्यवधान) निशिकांत दुबे जी की बात पूरी नहीं हुई है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री कृष्ण पाल जी, आपकी कुछ पेपर लेईंग है।

… (व्यवधान)

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2nd, 4th, 20th AND 27th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON ENERGY - Contd. – LAID

1231 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES (SHRI KRISHAN PAL): Sir, with your permission, on behalf of Shri Raj Kumar Singh, I beg to lay the following statements regarding:-

(3) the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Energy on "Power Generation from Municipal Solid Waste" pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

(4) the status of implementation of the recommendations contained in the 27th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : ज़ीरो ऑवर चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया करके आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1232 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/IND/UB)

1401 बजे

लोक सभा चौदह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(डॉ. किरिट पी. सोलंकी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1402 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री जसबीर सिंह गिल, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1402 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिसके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

Re: Promotion of tourism in Jhansi and Lalitpur districts in Uttar Pradesh

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Indian society and civilization is probably one of the oldest in the world. There is immense historical value of each and every aspect of our society which attracts tourists to our country. Tourism is one of the best instruments of economic development. Jhansi under Bundelkhand region, has huge potential for tourism and is famous for historical, spiritual and natural beauty such as Jhansi Fort, Rani Mahal, Maha Lakshmi Temple and Mansarovar lake of Banpur, Talbehat, Jain Temple.

If the place is developed in a planned manner then the condition of this region can change. It will help to generate more employment opportunities in tourism sector, therefore more youths will be dependent on tourism leading to reduction in migration to other districts for jobs. So, I request the hon'ble minister to take necessary steps to provide central assistance to promote tourism for the development of Jhansi and Lalitpur districts of Uttar Pradesh. (ends)

Re: Grant of an additional chance to teachers in Maharashtra for clearing the Teachers Eligibility Test

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The RTE Act 2009 mandates passing of TET for being appointed as teachers for Class 1-8. In November 2017, the state government of Maharashtra set March 30, 2019 as the last date for clearing TET for elementary teachers. It was also decided that the teachers failing to clear TET before the cut-off date will be terminated. The state government had accordingly stopped disbursing salaries of about 7,000 elementary teachers across Maharashtra with effect from January 1, 2020.Several issues like lack of syllabus, failure to organize TET twice a year and low success rate has put the future of more than 30,000 teachers at stake. Last TET was held in 2019 and many teachers were unable to clear or appear in the examination due to flaws in the recruitment process. I request the Government to make special provision by granting one additional chance to these 30000 teachers for clearing TET in 2021 so that they could become eligible for employment as a teacher.

(ends)

Re: Need to construct Pune-Ahmednagar-Aurangabad-Jalgaon railway line

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): मेरा संसदीय क्षेत्र अहमदनगर पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिरडी साई बाबा मंदिर भी यहाँ स्थित है जहाँ प्रतिदिन देश और विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक प्रार्थना करने आते है. यदि पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद-जलगाँव रेलवे लाइन का निर्माण किया जाता है तो यह न केवल पुणे से होकर गुजरेगी, बल्कि अहमदनगर, जलगाँव और औरंगाबाद सहित कई पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगी।इस रेल लाइन के निर्माण से इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रेलवे के साथ केंद्र सरकार के लिए भी राजस्व उत्पन्न करेगा। इन क्षेत्रों के रेल यात्री लंबे समय से इस लाइन के निर्माण की मांग कर रहे हैं क्योंकि इसके अभाव के कारण उन्हें यात्रा करने में असुविधा होती है।मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद-जलगाँव रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तत्काल सर्वेक्षण किया जाये और यथाशीघ्र सरकार इस नई रेलवे लाइन का निर्माण करें।

(इति)

Re: Fixing appropriate Obstacle Clearance Altitude at Mumbai Airport to facilitate construction of houses under PMAY in the vicinity of the Airport

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु मुंबई हवाई अड्डा ड्राफ्ट आरएनई एआर रनवे 32 सीमाओं पर ओसीए सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। यहां पर जमीन क्षेत्र जहां आरएनपी एआर रनवे 32 की सीमा मौजूद है, जहां एक लाख से अधिक परिवार मलिन बस्तियों में रह रहे हैं, जिनकी बहुत खराब स्थिति है। कई हितधारक यहां पर माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्ती आवास योजना को लागू करना चाहते हैं, लेकिन आरएनपी एआर सीमा के कारण लगाई गई ऊंचाई की प्रतिबंध की वजह से वे इस योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं।

इस संबंध में, मैं सदन का ध्यान नागर विमानन मंत्रालय के ऑर्डर नं. एवी-24032/111/2020-एएव/एमओसीए(191527), दिनांक 17 फरवरी, 2020 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें हवाई अड्डों के आसपास के शहरों के विकास के साथ-साथ नीति और विनियमों की सुरक्षा करने वाले हवाई अड्डों की जांच करने के लिए समिति का गठन करके 45 दिनों की समयावधि में रिपोर्ट सबमिट किए जाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, दुख है कि अब तक इस समिति का गठन ही नहीं हो पाया है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त समिति का तत्काल गठन करके विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता किए बगैर एआर एपीसीएच सुरक्षा सतह के अंदर मौजूदा संरचना ऊंचाई आईसीएओ 9905 के अनुसार उपयुक्त उच्च ओसीए की स्थापना के बारे में पुनर्विचार किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Ahmedabad-Himmatnagar stretch of NH-8 passing through Ahmedabad East parliamentary constituency, Gujarat

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व): अहमदाबाद-हिम्मतनगर राजमार्ग के बेहतरीन विकास के लिए सड़क एवं परिवहन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ| यह कार्य सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के गतिशील नेतृत्व में ही संभव हो पाया है।

अहमदाबाद - हिम्मतनगर राष्ट्रीय राजमार्ग - 8 मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व से गुजरता है, लेकिन वर्तमान में ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य में किसी कारणवश देरी हो रही है। अधूरे काम के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मामले को देखें और समस्या का समाधान करें।

(इति)

Re: Construction of embankment to prevent land erosion caused by Sone River in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखंड) के कांडी प्रखंड के मोखापी से सुण्डीपुर, ग्राम जयनगरा, खरौंधा, गाडा, गाडाखुर्द, कसनत, तक कोयल नदी से एवं सुण्डीपुर से श्रीनगर, ग्राम नारायणपुर, बराडीह, वनकट, गाडाखुर्द, सनपुरा, नरवाड़ीह, कालागढ़ा, बलियारी, बुनियाद विगहा, सड़की, शिवरी डुमरसोता, श्रीनगर तक सोन नदी से कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक यह कटाव हो रहा है। खेती योग्य सिंचित भूमि का कटाव हो रहा है। अब आवास भी कटना शुरू हो गया है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। विदित है कि सिंचित कृषि योग्य भूमि तथा मकानों को कटाव से बचाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि तटबंध का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय।

इस कार्य को गंगा फ्लड वाटर कंट्रोल कमीशन पटना की देखरेख में होना है और उन्हें ही इस कार्य के प्रस्ताव को स्वीकृत करना है। गंगा फ्लड वाटर कमीशन के पदाधिकारियों ने कुछ महीने पूर्व कटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया था एवं कार्यपालक पदाधिकारी लघु सिंचाई गढ़वा को कतिपय दिशा निर्देश दिया था। कार्यपालक अभियंता ने इन दिशा निदेशों का अनुपालन करते हुए समेकित प्रस्ताव गंगा फ्लड वाटर कमीशन को भेज दिया है।

अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य हेतु तटबंध निर्माण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to provide age relaxation for persons belonging to Economically Weaker section

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): 9 जनवरी 2018 का हमारी केन्द्र सरकार ने सामान्य आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सभी सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग को आरक्षण देने का फैसला स्वागतयोग्य तथा सुखद था। लेकिन ईडब्ल्यूएस-आरक्षण के संदर्भ में आपका ध्यान चाहता हूं कि आर्थिक-पिछड़ा-वर्ग आरक्षण में आयुसीमा में छूट का प्रावधान न होने से इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसके लाभों से वंचित रह गया है जबकि अन्य सभी वर्ग के आरक्षण में आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। गतवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण में आयु में छूट देने की घोषणा की है जो एक स्वागतयोग्य कदम है। देश के अन्यराज्यों जैसे गुजरात-महाराष्ट्र-जम्मू कश्मीर में इस विसंगतियों को दूर कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी एसटी-एससी-ओबीसी आरक्षण की तरह आयु सीमा में छूट दी गई है। अतः आग्रह है कि केंद्र सरकार भी सम्पूर्ण देश में ईडब्ल्यूएस में आयु संबंधित छूट का प्रावधान अविलम्ब लागू करावें।

(इति)

Re: Watershed Development Project (WPC) under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana in Satna parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितनी परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई हैं। वर्ष 2014-15 के उपरांत कोई नवीन वाटर शेड परियोजना स्वीकृति नहीं हुई है, जो पुराना परियोजनाएं स्वीकृत हई थी उनका कार्य पर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में निराबोया कृषि के कुल 152.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लगभग 60 प्रतिशत वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्र है। इस वर्षा आधारित कृषि वाटर क्षेत्र शेड विकास सिद्धांत के आधार पर जल संग्रहण संवर्धन का कार्य बहुत आवश्यक है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में मझगवां, सिंहपुर, बदेरा, नागौद तथा धारकुंडी क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं वाटर शेड कार्य की हैं क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्र है जहा वा रोका जाना आवश्यक है। यहां का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है।

(इति)

Re: Conversion of people in Bastar and Sarguja, Chhattisgarh

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ अपने भोले- भाले, सहज सरल लोगों का प्रदेश है। जिसे अलग राज्य का दर्जा 01/11/2000 को प्राप्त हुआ है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं। छत्तीसगढ़ के भोले-भाले सहज सरल लोगों को प्रलोभन आदि के माध्यम से मतांतरित करने का योजनाबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य में तेजी से हो रहे मतांतरण की गतिविधियों पर संज्ञान लेने तथा इस पर रोक लगाने की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to identify children who lost their parents due to Covid-19 and extend adequate financial help for their upbringing and education

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, वर्तमान उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर में अब तक 4,18,987 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार इस विश्वव्यापी बीमारी के कारण देश भर में लगभग 1,19,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं क्योंकि उनके माता'-पिता इस बीमारी के शिकार हो गए हैं तथा अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं। हालांकि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री केयर फंड से ऐसे प्रत्येक बच्चों के लिए 10 लाख रूपयों के फिक्स डिपाजिट करने तथा 18 वर्ष की आयु तक इस डिपाजिट के ब्याज से हर महीने स्टाइपंड देने की घोषणा की है। साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। सभी राज्य सरकारें भी इस विषय में अपने अपने पैकेज की घोषणा कर रही हैं। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे पीड़ित हर बच्चे की पहचान कर उसे इन घोषित पैकेज के माध्यम से सहायता शीघ्रातिशीघ्र पहचान कराई जाए। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,30,918 लोगों की मृत्यु हुई है अपितु यहां अनाथ हुए केवल 5000 बच्चों की ही पहचान हो पाई है।

इस सम्मानित सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पहचान करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए तथा जहां तक संभव हो ऐसे अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे की पहचान कर उसे सरकार द्वारा घोषित पैकेज के तहत वयस्क होने तक मासिक सहायता दिया जाना सुनिश्चित करने, उनका लालन पालन व शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to provide Rajasthan its share of water from Ravi & Beas rivers

श्री राहुल कस्वां (चुरू): 0.17 MAF पानी राजस्थान के सिधमुख-नोहर क्षेत्र के लिए बहाव पद्धति द्वारा सिंचाई हेतु 0.47 एम. ए. एफ. पानी का आवंटन किया गया था, वर्तमान में यह पानी 0.30 एम. ए. एफ. ही मिल रहा है। शेष पानी के लिए केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षा में हुई बैठक में इस बात की पुष्टि की, कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा मैन लाईन की क्षमता बहाली का वांच्छित कार्य पूर्ण कर लिया है, और भाखड़ा मैन लाईन की क्षमता बहाल हो गई है। इसलिए अधिशेष रावी - व्यास जल के हिस्से में से 0.17 एम. ए. एफ. (एक्स नांगल) जल शीघ्र आवंटन किया जाए, सिधमुख-नोहर क्षेत्र के लिए अधिकृत जल 0.47 एम.ए.एफ. के हिसाब से सिंचित क्षेत्र का डिजाइन तैयार किया गया था, 0.17 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिलने के कारण व नहर के अलाइमेन्ट में परिवर्तन के कारण, भादरा तहसील के 14 गांव , तारानगर तहसील 2 व नोहर क्षेत्र के 6 गांवों को इसे वंचित कर दिया गया। इसी तरह से चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट से नोहर के 6 गावों को वंचित कर दिया गया। वर्तमान में नोहर, भादरा व तारानगर के कुल 28 गांवों के किसी भी सिंचाई योजना से नहीं जुड़ने के कारण किसान निराश है और वे पिछले 3 माह से धरने पर बैठे है, पानी की भयंकर समस्या है। किसानों की मांग है कि इन गावों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट से जोड़ा जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Sainik School in memory of Shri Jadunath Singh, PVC in Sahajahanpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खजूरी, तहसील कलान में परमवीर चक विजेता नायक श्री जदुनाथ सिंह की नायक जदुनाथ सिंह राजपूत रेजीमेंट के सैनिक थे। म मेरे संसदीय जनपद के नायक जदुनाथ सिंह को राजपूत इतिहास में यह गौरव प्राप्त हुआ है। यह किसी से किया काकोरी घटना के अमर शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रौशन सिंह और अशफाक उल्ला खां इसी धरती की देन हैं तथा कार यद के दौरान भी दलित वर्ग का एक युवक रमेश देश के लिए अपनी कुरबानी दे चुका है।

यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि नायक जदुनाथ सिंह का गांव मेरे संसदीय जनपद शाहजहांपुर के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र में जनपद बदायूं और फर्रुखाबाद की सीमा पर स्थित है। यहां के निकटवर्ती क्षेत्र में युवकों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए कहीं कोई उच्च स्तरीय विद्यालय नहीं है तथा मेरे संसदीय जनपद और इसकी सीमा से सटे जनपदों के नौजवान उर्जावान, परिश्रमी, कर्मठ और देशभक्त हैं। यदि इन युवकों को किशोरावस्था से ही शिक्षा हेतु सैनिक स्कूल जैसे स्तरीय विद्यालय में संस्कार मिल जाएं तो शाहजहांपुर संसदीय जनपद की यह धरती, जो देश की आजादी से पहले से ही राष्ट्र की सेवा में समर्पित रही है, भविष्य में भी देश के प्रति इसी प्रकार से पूरी तरह समर्पित रहेगी।

अतः मेरा अनुरोध है कि शाहजहांपुर संसदीय जनपद के परमवीर चक विजेता नायक श्री जदुनाथ सिंह की याद में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना उक्त जनपद में किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाए।

(इति)

Re: Need to declare 'Margashirsha Shukla Ekadasi' as 'Antarrashtriya Geeta Diwas'

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत एक धर्म परायण देश है। इस देश की धरती पर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद्भगवद् गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है। यह एक अमूल्य चिंतामणि रज, साहित्य सागर में अमृत कुंभ और विचारों के उद्यान में कल्पतरू तथा धर्म में सत्यपथ का एक ज्योति स्तंभ है। इसमें वेद का मर्म, उपनिषद का सार, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रंय का नवनीत तथा सांख्य का समन्वय है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। यह अलौकिक गंथ एक ऐसा तत्वज्ञान है जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज तक निर्विवादित रहा है।

लगभग सभी सम्प्रदायों के संस्थापक महापुरुषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्य दुहराया है कि "ईश्वर एक है।

पूरे विश्व में समस्या बनी है। रक्तरंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्लभेद, ऊँच-नीच तथा अनेकानेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन इन सबका संपूर्ण समाधान केवल श्रीमद भगवद् गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमूल्य सुझाव है। हमारे पंचांग के अनुसार "गीता जयंती दिवस" मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनायी जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार यह दिवस श्रीमद्भगवद् गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अतः विश्व में इस महान ग्रंथ को यथोचित सम्मानित करने के लिए इस दिवस को "अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस" घोषित कराने का प्रयास किया जाय ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केन्द्रित हो सके।

(इति)

Re: Need to establish educational and technical institutes of high quality in Dhar parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री छतर सिंह दरबार (धार): मध्य प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र धार एक पिछड़ा एवं आदिवासी क्षेत्र है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। हमारे दूरदृष्टा एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना पूरे देश का सम्यक विकास करना है तथा उनकी सभी नीतियां एवं कार्यकम पंक्ति में खड़े देश के अंतिम व्यक्ति को समर्पित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का हर क्षण देश के पिछड़े एवं कमजोर लोगों को उनकी दैनिक कठिनाइयों से छुटकारा दिलाकर एवं शोषण और दमन से मुक्त करवाने को समर्पित है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में उच्च कोटि के शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान खोले जाएं तथा हमारे मेधावी युवा वहां से शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन सार्थक करने के साथ ही देश का नाम रोशन कर सकें। (इति)

Re: Setting up of a Kendriya Vidyalaya in Pudukkottai

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Pudukkottai, a historical city in Tamil Nadu, is one of the assembly segments which comes under my Tiruchirappalli Lok Sabha Constituency. It is also the district headquarters. Pudukkottai is having a population of about 25 lakh and 16 lakh voters. Pudukkottai city is having a number of arts, science, nursing colleges, schools, polytechnics and a medical college. Various Central / State Government offices and PSUs are functioning in Pudukkottai district and a number of families of Ex. Servicemen are also settled.

Government of India has started Kendriya Vidyalayas in various parts of the country including district headquarters to provide affordable and quality education to the wards of Defence, para-military personnel and transferable Central Government employees. However, no such school has been set up so far in Pudukkottai.

I shall, therefore, urge upon Union Government to take immediate necessary steps for early setting up of a Kendriya Vidyalaya in Pudukkottai.

(ends)

Re: Delay in sanctioning posts for Aligarh Muslim University Centre, Kishanganj

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Aligarh Muslim University Centre, Kishanganj was established by the Government of India in the year 2013 in view of the shortage of educational institutions in Seemanchal region. The objective of the centre is to provide higher educatisonal facilities to the students of Kishanganj and its adjoining districts.

In the year 2014, UPA government had allocated an amount of Rs. 136.82 crores during XII plans for establishment of Kishanganj Centre for students of Bihar against which only an amount of Rs. 10 crores have been released.

Delay in sanctioning staff is acting as an impediment for the teachers to fulfil their assigned duties and hindering the intended educational activities of the institution. I humbly request you to kindly sanction the posts of teaching and non-teaching staff for AMU Centre, Kishanganj.

(ends)

Re: Construction of 6 lane elevated corridor from Tambaram to Chengalpattu and 8 laning from Chengalpattu to Tindivanam section of NH -45 in Tamil Nadu

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): I would like to urge upon the union Ministry of Road Transport and Highways through you to start the construction of 6 lane elevated corridor from Tambaram to Chengalpattu and 8 laning *from* Chengalpattu to Tindivanam section of NH - 45 in the state of Tamil Nadu. Our Hon'ble Minister announced this project proposal on February 2018. Till now DPR is under process. I request to expedite the DPR and the concerned Ministry should take action floating tender. Moreover no Land Acquisition is required for this elevated corridor project from Tambaram to Chengalpattu. Eight laning work of NH- 45 from Tambaram to Paranur toll gate near Chengalpattu is in progress. Likewise, I request the Ministry to take necessary action for widening the NH-45 from Chengalpattu to Tindivanam into eight lane. I also request the Ministry through you Speaker Sir, to provide a expressway from Chennai to Madurai via Trichy like the Chennai to Bangalore expressway presently planned. As a result of it, heavy commercial traffic would be benefited to a large extent and the fuel consumption gets reduced considerably if expressway is formed.

(ends)

Re: Setting up of Central Tribal University (CTU) at Salur, Andhra Pradesh

SHRI VALLABHANENI BALASHOWRY (MACHILIPATNAM): Section 93 of AP Reorganisation Act mandates GOI to set up Central Tribal University, in Andhra Pradesh, but before establishing an institution of national importance, one should look at advantages of the site. Govt. of AP proposed the site at Salur in Vizianagaram which has so many advantages like:

It is within Tribal Sub-Plan area., located near NH-26, easily accessible to Odisha and Chhattisgarh, Saluru is one of the oldest Municipalities, better connectivity to Araku in Visakhapatnam, Salur is 20 Kms from Bobbili Railway Station & 60 kms from upcoming Bhogapuram International Airport, plenty of water is available as the site is adjacent to river and better power, telephone and net connectivity.

Importantly, VC, CTU, along with a Professor of UoH, submitted Inspection Report in February for shifting Tribal University to Salur.

Hence, I request GOI to expedite the process for establishing CTU at Salur.

(ends)

Re: New Pension Scheme

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): With the introduction of the New Pension Scheme, the old pension structure for government employees was modified in 2004 nationally and in 2005 in Uttar Pradesh. Under the NPS, the government's contribution to the pension of government employees would depend on the funds accumulated after investing in market instruments such as government securities and equity markets. However, in practice, this was not implemented equally across different states with the result that many government employees – even after more than a decade of public service – did not get their due retirement benefits. Therefore, under the banner of the All Teachers/Employees Welfare Association and the National Movement for Old Pension Scheme, a significant number of government employees have been protesting to provide the benefits due to them. I request the Minister of Personnel, Public Grievances, and Pensions to listen to their demands and end their long struggle for a respectful retirement after years of service.

(ends)

Re: Collection of caste-wise data under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): I came to know that the Ministry of Rural Development has asked the states to provide data caste-wise under MGNREGA Scheme. This is the first time under the scheme that this kind of data has been sought since its inception in 2006. According to the rules, every adult of this country who seeks work should be provided for 100 days of minimum employment in a year without consideration about his/her religion and caste. In this connection, I would like to state that at present SC/ST sections collectively got 140 crore man days which is 37.76%. In our country, SC/ST population accounts for 24.4% while their participation is more than their population. In the budget, allocations are made to sub-plan as per the ratio of their population. In case, funds under sub-plan are to be routed to MGNREGA works, only upto 24.4% is to be allocated on the basis of population. Then, where will the funds for remaining 13% man-days come from? So in the guise of release of funds under sub-plan works to dalits, tribals will be reduced by half resulting in enslavement of these sections to landlords, as in the past. Even OBCs are going to be deprived. In villages, works under MGNREGA is the life line for dalits and tribals. Caste based work allocation in rural areas will have an impact and caste feeling will be aroused leading to formation of caste groups at work places. The feudal forces will ensure that dalits and tribals get tougher works and get less wages. The unity amongst work force will surely get hampered.

So, I request our hon'ble Minister, not to seek caste-wise data under MGNREGA scheme which besides reducing man days for SC/ST population which is the life line for their livelihood will also arouse caste feeling at work places.

(ends)

Re: Bodoland Territorial Region Accord

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): गत 27 जनवरी 2020 को बीटीआर एकॉर्ड के जरिये बीटीसी में सशस्त्र आंदोलन लगभग ख़त्म हो गया।

असम के लोगों की आशा है कि इसके जरिये बीटीसी क्षेत्र में शांति और प्रगति आएगा। आन्दोलनकाल में बोडो के साथ कोच राजबंग्शी, मुस्लिम, आदिवासी, हिन्दू बंगाली , कलिता , नाथ योगी आदि लोग हत्या, हिंसा और लूट के शिकार हुए और लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा । इसलिए समझौते का जल्द से जल्द लागू करने के साथ अन्य जाति जन समूहों का भी विकास जरुरी हैं। एनडीएफबी सशस्त्र केडर के जल्द से जल्द नियोजन की व्यवस्था करना चाहिए साथ ही अन्य युवाओ को भी सुरक्षा बलों में विशेष भर्ती अभियान के तहत शामिल करना चाहिए।

इसके साथ ULFA, KLO, UGPO और आदिवासी सशस्त्र संगठन के साथ शांति समझौते जल्द से जल्द करना चाहिए और वहा कोई अन्य सशस्त्र संगठन के जन्म होने की सम्भावना सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए।

(इति)

माननीय सभापति : मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इस प्रकार का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2021 लिया जाता है।

… (व्यवधान)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

1404 बजे

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय सभापति : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : सभापति जी, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का संशोधन विधेयक आपके और सदन के समक्ष रखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और बहुत महत्वपूर्ण संशोधन भी है। हमारे देश में वर्तमान समय में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह निर्णय ले लिया गया था कि आने वाले भविष्य में हमारे देश की जनता को सुलभ यात्रा प्राप्त कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। … (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि देश में 130 करोड़ जनता में से हमें यह निश्चित करना होगा कि जो लोग वर्तमान में हवाई चप्पल पहनते हैं, वे हवाई जहाज में सफर कर पाएं। जो हवाई सेवा सदैव सदियों से, 70 सालों से अमीरों के लिए रखी जाती थी, बड़े-बड़े लोगों के लिए रखी जाती थी, वह हवाई सेवा हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए देश में उपलब्ध की जा रही है।… (व्यवधान)

(1405/KDS/KMR)

यह उनका संकल्प है कि भारत आगे बढ़ेगा। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का असली नागरिक गांवों में रहता है।… (व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री जी का भी वही संकल्प है कि जो सुविधाएं शहरी व्यक्ति को मिलती हैं, वही सुविधाएं हमारे ग्रामीण अंचल के निवासियों को भी मिलें।… (व्यवधान) उनकी सोच और विचारधारा है-'सबका साथ और सबका विकास।' हवाई सेवा उसी सोच और विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है। यात्रा का प्रजातंत्रीकरण, यात्रा का लोकतंत्रीकरण अगर किसी सरकार के समय में हुआ है तो वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। … (व्यवधान) ये सारी चीजें एक ही सोच और विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हैं। वह सोच और विचारधारा एक आत्मनिर्भर भारत की है। … (व्यवधान) भारत सक्षम बने तो भारतीयों के लिए बने और जब भारत भारतीयों के लिए सक्षम बनेगा, जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो विश्व पटल पर उभरने की पूरी क्षमता हमारा भारत सदैव रखेगा। … (व्यवधान) इसी सोच के साथ जहां एक तरफ इस देश की आम जनता के लिए सुविधा मुहैया कराना है वहीं दूसरी तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा तीसरी तरफ एक आत्मनिर्भर भारत की सोच और विचारधारा पैदा करनी है।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस चुनौती के समय में जब कोरोना महामारी है, उस महामारी में भी संवाद के बदले सदन में नारेबाजी हो रही है। … (व्यवधान) इस माहौल में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि

नारे जितने भी लगें, लेकिन हम इस देश के लिए संकल्पित हैं, हम किसानों के लिए संकल्पित हैं, हम गरीब के लिए संकल्पित हैं और इस देश के विकास के लिए संकल्पित हैं। कोरोना के इस वातावरण में ये संवाद और चर्चा नहीं करना चाहते हैं। … (व्यवधान) कोरोना के वातावरण में हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि चुनौतियों को भी हम अवसर में बदलेंगे और गरीबों, किसानों तथा इस देश की आम जनता तक हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक-दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि इस 'उड़ान योजना' का लाभ कैसे हमारे देश की आम जनता को मिला था। … (व्यवधान) बिहार में एक शहर दरभंगा है। वहां स्वतंत्रता के समय एक हवाई पट्टी बनी थी और एक निजी एयरलाइन दरभंगा एविएशन वर्ष 1950 से वर्ष 1962 तक वहां पर चलती थी। उसके बाद दरभंगा नागर विमानन नक्शे से मिट गया। वहां इसकी कोई सुविधा नहीं मिलती थी। … (व्यवधान) सबसे पास वाला एयरपोर्ट पटना था जो कि 5 घंटे की दूरी पर था। 9 नवम्बर, 2020 को दिल्ली से दरभंगा की पहली फ्लाइट पहुंची। केवल दरभंगा के वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के 14 जिलों के वासियों में हर्षोल्लास का एक वातावरण पैदा हुआ। … (व्यवधान) जिस दरभंगा में एक फ्लाइट भी नहीं आती थी, जिस दरभंगा को सिविल एविएशन के नक्शे से उजाड़ दिया गया था, वहां पिछले डेढ़ साल में दरभंगा से पूरे देश के इर्दगिर्द प्लेन के लगभग 110 मूवमेंट्स हुए हैं। … (व्यवधान) दरभंगा के डेढ़ लाख यात्रियों को नवम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक देश के कोने-कोने में इस 'उड़ान योजना' ने पहुंचाया है। ऐसी कहानियां दुर्लभ हैं। … (व्यवधान) बेलगांव-कर्नाटक जो अध्ययन का क्षेत्र है। बेलगांव-कर्नाटक, जो जुड़ा हुआ नहीं था, वहां से आज 170 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं। ढाई लाख यात्रियों का आवागमन हुआ है। … (व्यवधान)

(1410/CS/RCP)

ओडिशा के झारसुगुड़ा क्षेत्र में, द्वितीय विश्व युद्ध में, वहाँ एक हवाई पट्टी लगी थी, जो टूटी हुई थी।… (व्यवधान) वह व्यक्ति ओडिशा के बार्डर पर रहता है, छत्तीसगढ़ के बार्डर पर रहता है।… (व्यवधान) भुवनेश्वर 325 किलोमीटर दूर है।… (व्यवधान) उसके सबसे पास वाला एयरपोर्ट ओडिशा में नहीं, झारखंड, राँची में उपस्थित है।… (व्यवधान) वीर साई एयरपोर्ट मार्च, 2019 में स्थापित किया गया।… (व्यवधान) आज यह 9 बड़े शहरों से जुड़ गया है।… (व्यवधान) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, रायपुर, पटना, भुवनेश्वर शहरों से जुड़ गया है।… (व्यवधान) दो लाख से ज्यादा यात्रियों ने वहां से सुलभ यात्रा की है।… (व्यवधान) वहां से 140 फ्लाइट्स कनेक्टेड हैं।… (व्यवधान) यह कहानी है प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की।… (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह भारत की कहानी है, आत्मनिर्भर भारत की कहानी है।… (व्यवधान) यही कहानी भारत के कोने-कोने की है और ऐसी अनेक कहानियाँ हैं। … (व्यवधान) रुपसी एयरपोर्ट असम में, किशनगढ़ एयरपोर्ट राजस्थान में, जगदलपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में, आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में, हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक में और ऐसी अनेक कहानियाँ हैं।… (व्यवधान) 'उड़ान' का लक्ष्य है कि हम लोग टियर-2 और टियर-3 शहरों को जोड़कर रखेंगे, उत्तर-पूर्वी भारत को जोड़कर रखेंगे, हमारे पहाड़ी राज्यों को जोड़कर रखेंगे, हमारे द्वीपों को जोड़कर रखेंगे।…

(व्यवधान) इसके लिए हमने पांच क्षेत्र बनाये हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व का क्षेत्र।... (व्यवधान) बैठ जाइए।... (व्यवधान) 30 प्रतिशत, हर एक रीजन को हमने अपना नेतृत्व करने की क्षमता दी है।... (व्यवधान)

महोदय, अब इस क्लबिंग के आधार पर बहुत सारे लाभ इस क्षेत्र को मिलेंगे।... (व्यवधान) जहाँ एक तरफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा छोटे-छोटे शहरों को एक नया महत्व दिया जाएगा।... (व्यवधान) शॉर्ट क्यों रखें? ... (व्यवधान) उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे।... (व्यवधान) पूरे देश को सुनना चाहिए कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में क्या किया जा रहा है।... (व्यवधान) पूरे देश को इनका व्यवहार भी सुनना चाहिए कि जहाँ आम आदमी के लिए कार्य किया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं?... (व्यवधान) इनकी सुनने की क्षमता नहीं है।... (व्यवधान) ये सुनाने की ही क्षमता रखना चाहते हैं।... (व्यवधान) अगर आपको सुनाना है तो प्रजातंत्र में आपको सुनना भी होगा।... (व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा था कि यह जो क्लबिंग की प्रक्रिया है, इसके आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण छोटे-छोटे शहरों पर अपनी प्राथमिकता दे सकता है।... (व्यवधान) नये एयरपोर्ट्स का सृजन होगा।... (व्यवधान) जब नवोदय हवाई अड्डों का सृजन होगा, जो दूसरे हवाई अड्डे हैं, वहाँ निजी क्षेत्र अपनी भूमिका निभाये ताकि दोनों के बीच में एक सहयोग हो, एक संवाद हो और एक भूमिका दोनों, निजी और सरकारी क्षेत्र तय कर पाएं।... (व्यवधान) इसी के साथ हमारी सोच और विचारधारा है कि नए हवाई पट्टे बनें, छोट एयरपोर्ट्स की क्रॉस सब्सिडी हो।... (व्यवधान) इसके आधार पर जो आज भारत में 128 एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे हैं, जो आज भारत में 713 हवाई प्लेन्स हैं, हमारी सोच और विचारधारा है कि आने वाले समय में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत उड्डयन क्षेत्र में न केवल भारत का नेतृत्व करे, बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व करे।... (व्यवधान)

महोदय, मेरी आपसे अपील है, मेरी सभी सांसद भाई-बहनों से अपील है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।... (व्यवधान) इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए ताकि देश का एक-एक इंसान इस हवाई सेवा का लाभ ले पाए।... (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : एक गरीब व्यक्ति, जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है, उसके हवाई मुसाफिरी करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

…..

(1415/KN/RK)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी): अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: सर, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

अंतर्देशीय जलयान विधेयक

1417 बजे

माननीय सभापति : अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 – माननीय मंत्री जी।

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to promote economical and safe transportation and trade through inland waters, to bring uniformity in application of law relating to inland waterways and navigation within the country, to provide for safety of navigation, protection of life and cargo, and prevention of pollution that may be caused by the use or navigation of inland vessels, to ensure transparency and accountability of administration of inland water transportation, to strengthen procedures governing the inland vessels, their construction, survey, registration, manning, navigation and such other matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "

Sir, the present Bill aims to fulfil the vision of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, towards achieving a forward looking and robust legal regime in the critical areas of infrastructure and governance. … (*Interruptions*) At present, navigation of mechanically propelled inland vessels plying in inland waters of the country is governed by the Inland Vessels Act, 1917. However, the Act has become obsolete and inadequate to address the increasing complexities of this sector, and the operational bottleneck inhibits smooth and interstate movement of inland vessels across the country.

Sir, to realise the potential of inland water transport and promote it as a supplementary and eco-friendly mode of transport to the congested road and rail network, it is important that movement along the waterways is absolutely seamless across the State boundaries.… (*Interruptions*)

The proposed Inland Vessels Bill, 2021 will go a long way in boosting trade, commerce and economic activities across the country, and shall promote national integration. Hence, a new legal regime that is favourable for future technological development, capable of facilitating present and future prospect of trade, transportation and safe navigation by inland vessels is the need of the hour. Thank you, Sir.

(ends)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि अन्तर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से मितव्ययी और सुरक्षित परिवहन तथा व्यापार की अभिवृद्धि करने, देश के भीतर अन्तर्देशीय जलमार्गों और नौपरिवहन संबंधी विधि को लागू करने में एकरूपता लाने, नौपरिवहन की सुरक्षा, जीवन और स्थोरा की संरक्षा के लिए उपबंध करने और प्रदूषण जो कि अन्तर्देशीय जलयान के उपयोग या नौपरिवहन के उपयोग द्वारा कारित हो सकता है, का निवारण करने, अन्तर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन का पारदर्शी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, अन्तर्देशीय जलयानों, उनका सन्निर्माण, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, मैनिंग, नौपरिवहन के संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और इनसे संबद्ध या उनके आनुषंगिक ऐसे अन्य मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल पर संशोधन के नोटिस दिए हैं। अगर वे अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ सभा के समक्ष मतदान के लिए रख रहा हूं। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

… (व्यवधान)

(1420/PS/GG)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Shri N.K. Premachandran, do you want to move any amendment?

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, this is a very important Bill. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आपको संशोधन मूव करना है?

… (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to say something before moving the amendments.

This Bill is having 114 Clauses and moving this Bill in the din is not proper. This is not the way in which the Bill has to be passed. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendments?

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I strongly oppose the way the Bill is being passed. I am not moving the amendments because the House is not in order. When the House is not in order, the Bills so passed have no value at all. … (*Interruptions*) This is not the way in which the Bill is to be passed. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Are you moving your amendments?

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No, I am not moving the amendments. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 114 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 114 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1423 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 30 जुलाई, 2021 / 8 श्रावण, 1943 (शक)

के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।